

## कार्यालय अंचल अधिकारी, तोरपा।

वाद अभिलेख सं० 320/2017-18 (अन्तर्गत धारा 4(h) BLR Act, 1950)

आदेश पत्रक सं० ..... से ..... तक

वाद का प्रकार :- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत  
जाँच एवं कार्रवाई

आदेश का क्र. सं. तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गये कार्रवाई दिनांक आदेश
12.01.18	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू०-अर्जन-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि में कायम की गई जमाबंदियों जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया कि मौजा <u>ताटी</u> थाना <u>ताटी</u> खाता सं० <u>124</u> प्लॉट सं० <u>00</u> रकबा <u>3.21</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास अनाबद बिहार (झारखण्ड) सरकार की खाते की सरकारी भूमि जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं० <u>1</u> पृष्ठ सं० <u>190</u> पर जमाबंदी रैयत <u>विसरू यादव</u> पिता/पति का नाम ..... से कायम है। यह जमाबंदी संदिग्ध है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध सादाहुकुनामा कायम की गयी है। जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टय उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू०-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज/ निर्गत लगान रसीद की मांग करे तथा उनको कारण-पृच्छा करे कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हेतु इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्ध करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>24.01.18</u> को उपस्थापित करें।</p>	
	<p>लेखापित एवं संशोधित</p>	<p>अंचल अधिकारी तोरपा</p>

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर


आदेश पर गई  
कार्रवाई टिप्पणी  
आदेश

अभिलेख उपस्थापित,

12.11.2020

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन एवं वर्तमान पंजी से पूर्व की जमाबंदी पंजी/ हल्का में उपलब्ध कन्टीन्यूअस खतियान/वादी के वंशज द्वारा उपलब्ध कराये गये बदोबस्ती पट्टा का अवलोकन करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि मौजा राठी के पंजी II में के वॉल्युम सं० 1 के पृष्ठ सं० 190 में बिसरु श्याम के नाम से कायम जमाबंदी सक्षम प्राधिकार के आदेश के आलोक में संधारित है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त अनुशंसा एवं उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों के आलोक में मौजा राठी के पंजी II के भाग सं० 1 पृष्ठ सं० 190 में बिसरु श्याम के नाम से कायम जमाबंदी के विरुद्ध भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 H के तहत प्रारंभ की गई कार्रवाई तत्काल प्रभाव से बंद की जाती है। भविष्य में विभागीय नियमों/उच्चतर न्यायालय के आदेश आदि के आलोक में पुनः कार्रवाई प्रारंभ की जा सकेगी।

  
अंचल अधिकारी  
तोरपा


वाढ सं - ७२०/२०१६.


खता सं - १२५

रेशन - विसल मादण

<u>प्लॉट सं</u>	<u>रकबा</u>	<u>खतियानी किरम</u>	<u>खतियानी रकबा</u>
६१७	०.१०६	पली नाला	१.०० एकर
६१८	०.०८६	पली नदीम	०.१० एकर
६१९	१.०० ए	पली नदीम	१.०३ एकर
१२००	०.५७६	पली नदीम	०.५७ एकर
११९९	०.५९ ए	पली नदीम	०.६५ एकर
१२९	०.१५६	पली नदीम	०.१५ एकर
	<u>२.१८६</u>		

उक्त भूमि का वर्तमान रेशन के पास सादा हुकुमनामा (१९/०५/१९५९) एवं सादा हुकुमनामा के आधार पर ही अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण शुद्धि पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिससे आधार पर उक्त भूमि अंचल स्तर पर ही निष्पादित करने योग्य है।

  
(R.S.S.) - I

  
C-4